

न्यायालय-सुकुल राम, अवर न्यायाधीश-1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0-4/2023

शोएब अख्तर.....वादी
बनाम
याहिया खान.....प्रतिवादी

<u>DATE</u>	<u>ORDER</u>	<u>REMARKS</u>
26.09.2025	<p>उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादी की तरफ से एक आवेदन दिनांक 26.05.2025 अंदर आदेश 39 नियम 01(ए) और धारा 151 ब्य0 प्र0 सं0 के अंतर्गत दाखिल किया गया है, जो आज दिनांक 26.09.2025 को आदेश हेतु नियत है।</p> <p>वादी के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि प्रस्तुत वाद में वादी के द्वारा उक्त बयनामा दस्तावेज दिनांक 12.03.2002 सोएब अख्तर बनाम याहिया खां को रद्द और बातिल तथा धोखाधड़ी से प्राप्त बिना जरसमन का गैरकानूनी घोषित करने के साथ-साथ अनुतोष के लिए दाखिल किया गया है। प्रतिवादी, वादी के खास भाई है तथा वर्ष 2002 में कोविड, टी.बी, एड्स से ग्रसित होने के कारण वादी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसका नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी के द्वारा बिना किसी जरसमन को अदाय किये वादी के साथ धोखाधड़ी करके प्रश्नगत बयनामा तहरीर तामिल करवा लिया गया जिसको रद्द घोषित करने के लिए वादी के द्वारा यह वाद दाखिल किया गया है। प्रतिवादी वादग्रस्त <u>भूमि/मकान</u> जिसमें वादी अपने परिवार के साथ निवास करता है, को स्थानीय दबंगो और प्रोपर्टी डिलरों के हाथ बिक्री करने की बातचीत कर रहे हैं और वाद के दौरान प्रश्नगत एराजी और मकान की बिक्री करने से रोकना न्यायहित में आवश्यक है। अगर मोकदमा के दौरान प्रतिवादी वाद भूमि की बिक्री करते हैं तो नये मोकदमा का जन्म होगा तथा वादी को अपूर्ण्य क्षति होगी। वादी का प्रथम द्रष्टवा वाद बनता है तथा सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है और वादी को वाद के दौरान वाद <u>भूमि/मकान</u> को बिक्री करने या अन्य तरह के हस्तान्तरण डीड तहरीर तामिल करने से रोका नहीं गया तो वादी को अपूर्ण्य क्षति होगी।</p>	

न्यायालय-सुकुल राम, अवर न्यायाधीश-1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0-4/2023

शोएब अख्तर.....वादी
बनाम

याहिया खान.....प्रतिवादी

<p>लगातार 26.09.2025</p>	<p>अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी क आवेदन को स्वीकार करते हुए प्रतिवादी को वाद के दौरान वाद भूमि/मकान के निस्वत किसी भी तरह का हस्तान्तरण बिलेख तहरीरी तामिल करने से रोक दिया जाए।</p> <p>प्रतिवादी के द्वारा वादी क आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 08.07.2025 को दाखिल किया गया एवं निवेदन किया गया कि वादी का आवेदन न्यायोचित नहीं है और खारिज होने योग्य है। वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया वाद का संतुलन नहीं बनता है। प्रस्तुत वाद, वादी के द्वारा बयनामा दस्तावेज दिनांक 12.03.2022 सोएब अख्तर बनाम याहिया खां को रद्द करने के लिए लाया गया है। उपरोक्त बयनामा दस्तावेज वादी के द्वारा स्वयं लिखा गया है। विवादित प्लॉट सं0-218 के खाता-16 की 15 धूर भूमि वादी के पिता अफताब आलम ने निबंधित बयनामा दस्तावेज दिनांक 01.02.1975 के द्वारा खरीद की थी। वादी के द्वारा यह तुच्छ मोकदमा बिक्रय विलेख दिनांक 12.03.2022 जो प्रतिवादी के पक्ष में है, को निरस्त करने के लिए लाया गया है। यह बैयनामा वादी द्वारा स्वस्थ्य मनचीत से पर्याप्त मुआवजा लेकर कार्यान्वित किया गया है। वादी विभिन्न बुरी आदतों में संलिप्त था तथा अन्य औरतों के साथ गलत शारीरीक संबंध स्थापित करता था, जिसके कारण वह एच.आई.वी पोजिटिव तथा कोविड के दौरान वह कोविड पोजिटिव हो गया और उस दौरान वादी तथा वादी के पत्नी प्रतिवादी के दिल्ली में स्थित निवास पर रहा। प्रतिवादी के द्वारा वादी का ईलाज इन्द्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल, दिल्ली में करवाया गया एवं प्राईवेट डॉक्टरों से भी ईलाज करवाया गया तथा अधिकांश ईलाज का खर्च प्रतिवादी द्वारा वहन किया गया। वादी के द्वारा प्रतिवादी से अत्यधिक लोन होने के कारण वाद भूमि बेचने का प्रस्ताव रखा, तब प्रतिवादी वाद भूमि खरीदने के लिए तैयार हो गया। प्रतिवादी के द्वारा विक्रय बैयनामा लिखवाने से पूर्व</p>
-------------------------------------	--

न्यायालय-सुकुल राम, अवर न्यायाधीश-1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0-4/2023

शोएब अख्तर.....वादी
बनाम

याहिया खान.....प्रतिवादी

<p>लगातार 26.09.2025</p>	<p>सम्पूर्ण मुआवजा की राशि वादी को दे दी गई। प्रतिवादी के अनुमति पर वादी और उसका परिवार विवादित भूमि पर रह रहे हैं। वादी को न तो प्रथम दृष्टया का मामला बनता है और न ही सुविधा का तुला वादी के पक्ष में है और न ही वादी को कोई अपूर्णाय क्षति है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी का आवेदन खारिज करने की कृपा करें।</p> <p>उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वाद बिन्दु का गठन दिनांक 10.03.2025 को न्यायालय द्वारा किया गया तथा दिनांक 16.04.2025 को अभिलेख वादी के स्वयं साक्ष्य हेतु निर्धारित किया गया। वादी की ओर से दिनांक 26.05.2025 को आदेश 39 नियम 01(ए) एवं धारा 151 सी0पी0सी0 के तहत दाखिल किया गया, जिसे दिनांक 09.06.2025 को चालित किया गया और प्रतिवादी को कारण पृच्छा दाखिल करने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया। प्रतिवादी के द्वारा दिनांक 08.07.2025 को कारण पृच्छा दाखिल किया गया। वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने आवेदन में कहा गया है कि वादी के द्वारा यह वाद बयनामा दस्तावेज दिनांक 12.03.2022 सोएब अख्तर बनाम याहिया खान को रद्द और बातिल तथा धोखाधड़ी से प्राप्त बिना जरसम्मन का गैर कानूनी घोषित करने के साथ-साथ अन्य अनुतोष के लिए दाखिल किया गया है। वादी के द्वारा अपने वाद पत्र में अपने दावा का पूर्ण खुलासा किया गया है। प्रतिवादी, वादी के ख्रास भाई हैं तथा वर्ष 2022 में कोविड, टी.बी तथा एच.आई.वी पोजिटिव से ग्रसित हो गए, जिसके कारण वादी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसका नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी के द्वारा बिना किसी जरसमन के अदाय किए वादी के साथ धोखाधड़ी करके प्रश्नगत बयनामा तहरीर तामिल करवा लिया गया। इसको रद्द घोषित करने के लिए वादी के द्वारा</p>	
-------------------------------------	---	--

न्यायालय-सुकुल राम, अवर न्यायाधीश-1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0-4/2023

शोएब अख्तर.....वादी
बनाम

याहिया खान.....प्रतिवादी

<p>लगातार 26.09.2025</p>	<p>उक्त वाद दाखिल किया गया है। वादी के कमजोरी का फायदा उठाते हुए वादग्रस्त भूमि/मकान जिसमें वादी अपने परिवार के साथ निवास करता है, को स्थानीय दबंगों एवं प्रोपर्टी डिलरों के साथ बिक्री करने की बातचीत कर रहे हैं तथा वाद के दौरान प्रश्नगत एराजी तथा मकान को बिक्री करने से रोकना न्यायहित में आवश्यक है। अगर मोकदमा के दौरान प्रतिवादी वाद भूमि के निस्वत बिक्री विलेख तहरीर कर देते हैं तो नए मोकदमा का जन्म होगा तथा वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। दूसरी ओर प्रतिवादी के द्वारा अपने प्रतिउत्तर में कहा गया है कि वादी को वाद में न तो प्रथम दृष्टया मामला बनता है और न ही सुविधा का तुला वादी के पक्ष में है। वादी के द्वारा यह तुच्छ मोकदमा बिक्रय विलेख दिनांक 12.03.2022 जो प्रतिवादी के पक्ष में है, को निरस्त करने के लिए लाया गया है। यह बैयनामा वादी द्वारा स्वस्थ्य मनचीत से पर्याप्त मुआवजा लेकर कार्यान्वित किया गया है। वादी विभिन्न बुरी आदतों में संलिप्त था तथा अन्य औरतों के साथ गलत शारीरिक संबंध स्थापित करता था, जिसके कारण वह एच.आई.वी पोजिटिव तथा कोविड के दौरान वह कोविड पोजिटिव हो गया और उस दौरान वादी तथा वादी के पत्नी प्रतिवादी के दिल्ली में स्थित निवास पर रहा। प्रतिवादी के द्वारा वादी का ईलाज इन्द्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल, दिल्ली में करवाया गया एवं प्राईवेट डॉक्टरों से भी ईलाज करवाया गया तथा अधिकांश ईलाज का खर्च प्रतिवादी द्वारा वहन किया गया। वादी के द्वारा प्रतिवादी से अत्यधिक लोन होने के कारण वाद भूमि बेचने का प्रस्ताव रखा, तब प्रतिवादी वाद भूमि खरीदने के लिए तैयार हो गया। प्रतिवादी के द्वारा विक्रय बैयनामा लिखवाने से पूर्व सम्पूर्ण मुआवजा की राशि वादी को दे दी गई। प्रतिवादी के अनुमति पर वादी और उसका परिवार विवादित भूमि पर रह रहे हैं। वादी को न तो प्रथम दृष्टया का मामला बनता है और न ही सुविधा</p>	
-------------------------------------	---	--

न्यायालय-सुकुल राम, अवर न्यायाधीश-1, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0-4/2023

शोएब अख्तर.....वादी
बनाम

याहिया खान.....प्रतिवादी

<p>लगातार 26.09.2025</p>	<p>का तुला वादी के पक्ष में है और न ही वादी को कोई अपूर्णाय क्षति है। अभिलेख अवलोकन से यह भी प्रतीत होता है कि अभिलेख पर अधिवक्ता आयुक्त का रिपोर्ट मौजूद नहीं है। साथ ही विवादित भूमि एवं मकान के बिक्री से संबंधित खरीददार का कोई प्रमाण अभिलेख पर मौजूद नहीं है। वादी के आवेदन से प्रथम दृष्टया का मामला बनता हुआ प्रतीत नहीं होता है और न ही सुविधा का तुला वादी के पक्ष में है। वादी का आवेदन खारिज होने से वादी को कोई अपूर्णाय क्षति नहीं होगी। ऐसी स्थिति में वादी का आवेदन दिनांक 26.05.2025 अंदर आदेश 39 नियम 01(ए) और धारा 151 व्य0 प्र0 सं0 पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।</p> <p>वाद दिनांक 13.11.2025 को वादी साक्ष्य हेतु नियत किया जाता है।</p> <p>(लेखापित)</p> <p>अवर न्यायाधीश-1</p> <p>नरकटियागंज</p>	
-------------------------------------	---	--